न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची

एस॰ए॰आर॰ अपील संख्या 144 आर 15/08–09

विन्देश्वरी देवी वगै॰ – अपीलकर्त्ता

बनाम

विमल लकड़ा वगै॰ – प्रतिवादी

आदेश

4
20/05/09

अपीलकर्त्तागण (1) विन्देस्वरी देवी, (2) गीता देवी, (3) मीना देवी, (4) राजेश साव सभी निवासी करमटोली की ओर से विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची का एस॰ए॰आर॰ वाद सं॰ 249/07–08 में पारित आदेश, दिनांक 25.08.2008 के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है। अपील ग्रहण के पश्चात विपक्षीगण को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया। इस वाद में दोनों पक्षों द्वारा अपना अपना जवाब दाखिल किया।

यह अपील ग्राम– हातमा, थाना लालपुर, जिला राँची के खाता सं॰ 174, प्लॉट सं॰ –1237, रकबा – 07 कट्ठा से संबंधित है। यह खाता सर्वे खतियान में गंदुर उरॉव, पिता खुदिया उरॉव के नाम से दर्ज है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दायर कारणपृक्षा एवं कागजातों का अवलोकण किया। अपीलकर्ता का कथन है कि उपरोक्त जमीन को इनके पूर्वजों ने 1946 तथा 1947 में खतियानी रैयत से सादा बिक्रीनामा द्वारा प्राप्त किया था। तब उपायुक्त की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। उस वक्त से ये लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। मकान में बिजली, पानी एवं टेलीफोन लगा हुआ है। तथा 1969 से पूर्व से निर्मित है। इस भूमि पर इनका कब्जा है तथा वहॉ कभी खेती नहीं होती है। इनके द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन नहीं किया गया है और ना ही छल–प्रपंच किया गया है। एस॰ए॰आर॰ वाद 60 वर्षों के बाद किया गया है इसलिये यह वाद कालबाधीत भी है।

अपीलकर्ता के आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख है कि भूमि पर पुराना मकान बना हुआ है। इनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय में आवेदको ने अपने गवाही में

माना है कि भूमि पर अपीलकर्ता का पुराना मकान 35–40 वर्षों से बना हुआ है जिसमें ये परिवार के साथ रह रहे हैं।

अपीलकर्ता की ओर से एस॰ ए॰ आर॰ वाद सं. 75/07–08 में पारित आदेश की छायाप्रति दाखिल किया गया है जिसमें इसी प्लॉट के 3½ कट्ठा के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71'ए' के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत 60000.00 प्रति कट्ठा की दर से मुआवजा भुगतान का आदेश पारित किया गया है। इनका अनुरोध है कि आदेश में एकरूपता होनी चाहिए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपीलकर्ता के दलील को स्वीकार किया गया। तथा अपने पक्ष में और कुछ बोलने के विषय पर मौन रहे।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों तथा अधिवक्तागण के दलील को सुनने के बाद मैं यह निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवादित भूमि आदिवासी खाते की है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71'ए' की द्वितीय परंतुक के तहत विचारनीय बिन्दु है।

अतः निम्न न्यायालय का आदेश दिनांक 25.08.2008 को विखंडित किया जाता है एवं पुनः सुनवाई हेतु वाद को निम्न न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है। निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि उपर वर्णित बिन्दुओं पर कागजातों एवं साक्ष्यों के आधार पर नियमानुकुल आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2023.06.13 20:15:22 +05:30
Location: 192.168.2.175